

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंम्प कोर्ट) कैंम्प जौल सोदा (खेत्र)

—:आदेश:- 156/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जौल सोदा व भू.अ.नि. दुदवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पंचपट्टा / नायब तहसीलदार जौल की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सोदा की तहसील पंचपट्टा व जिला बालोतरा की जमाबन्दी सम्वत् 2022-2025 में खाता संख्या 92 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सोदा कीटाणी	92	मला डी. सवा	मलसिंह डी. शिवसिंह शाना राजपूत

(पीठासीन अधिकारी)

(लोक अदालत)

पीठासीन उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा कैंम्प-2018

दिनांक :- 8/5/18

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :- 547 - 540

1. तहसीलदार पंचपट्टा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री मलसिंह डी. शिवसिंह को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(पीठासीन अधिकारी)

(अशोक राम)

पीठासीन उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा कैंम्प-2018